



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2026

विषय:- 02 अदद Anti Drone System के लिये 08 अदद Radar Panel के क्रय के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-उप0प्रको0-412/2025(सुरक्षा) दिनांक 10.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों तथा प्रदेश धार्मिक स्थलों के सुरक्षार्थ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार 02 अदद Anti Drone System के लिये 08 अदद Radar Panel के क्रयार्थ कुल धनराशि रू0 22,21,17,648/- (रुपये बाईस करोड़ इक्कीस लाख सत्रह हजार छह सौ अड़तालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्रमांक	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति उपकरण धनराशि कर सहित (रू0 में)	कुल धनराशि कर सहित (रू0 में)
1	Radar Panel for Anti Drone System	08	2,77,64,706/-	22,21,17,648/-
कुल अनुमानित व्ययभार				22,21,17,648/-

(1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक / मॉडल / स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा क्रयार्थ उपकरणों की गुणवत्ता/ उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापन की जा सकती है।

(6) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्वगत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(9) यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों का क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/ सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,21,17,648/- (रुपये बाईस करोड़ इक्कीस लाख सत्रह हजार छह सौ अड़तालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4070008001600 सुरक्षा शाखा मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-510-X-2025-26-दिनांक: 12-03-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-199/2026//1264461/2026/001-CN-2002438-6-7099-801-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।